POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 15.12.2025

1. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर फर्जी सेन्शन लेटर भेजकर ठगी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15/16.12.2025** को **थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर पुलिस** द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करते हुए पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर फर्जी सेन्शन लेटर भेजकर ठगी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1-हिमांशु दूबे पुत्र कपिल देव दूबे 2-हिमांशु पुत्र नरेन्द्र को खोड़ा कॉलोनी (गाजियाबाद) एवं न्यू अशोक नगर (दिल्ली) से **गिरफ्तार** किया गया है। यह गिरोह निजी कंपनी से प्राप्त डाटा का दुरुपयोग कर लोन की जरूरतमंद लोगों को पर्सनल लोन दिलाने का झांसा देकर फर्जी लोन सेन्शन लेटर भेजता था और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे ठगता था।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण पहले एक कंपनी (सेक्टर-2, नोएडा) में साथ काम करते थे, जहाँ से डाटा चुराकर/प्राप्त कर इनके द्वारा ठगी शुरू की गयी। यह लोग पीड़ितों से कॉल पर बात कर लोन अप्रूवल के नाम पर पैसे लेते थे और फर्जी लोन सेन्शन लेटर तैयार करके व्हाट्सएप पर भेजते थे। कुछ दिन बाद यह फर्जी दस्तावेज डिलीट कर देते थे और ठगी की रकम को आपस मे बाँट लेते थे। हिमांशु दूबे द्वारा ठगी की कमाई से हाल ही में गूगल पिक्सल मोबाइल फोन खरीदा गया था, जिसको बरामद किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. हिमांशु दूबे पुत्र कपिल देव दूबे निवासी मधु बिहार, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद मूल पता करनैलगंज, जिला गोंडा उम्र करीब 28 वर्ष।
2. हिमांशु पुत्र नरेन्द्र निवासी न्यू अशोक नगर, थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली, मूल निवासी जिला मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 145/2025 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 238 भारतीय न्याय संहिता तथा 66डी आई.टी. एक्ट, थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन मय सिम

साइबर जागरूकता संदेश--

➡ पर्सनल लोन के नाम पर कोई अज्ञात व्यक्ति प्रोसेसिंग फीस/सैंक्शन फीस मांगे तो सावधान रहें – यह हमेशा ठगी होती है।

➡ कभी भी व्हाट्सएप/कॉल पर आए फर्जी सैंक्शन लेटर पर विश्वास न करें,

➡ बैंक/कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित करें।

➡ साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 डायल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें